

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 13 जून 2019—ज्येष्ठ 23, शक 1941

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

“कचनार” ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल—462016

इंदौर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित संशोधन की सूचना

भोपाल, दिनांक 11 जून 2019

क्र. 3345-वि.यो. न.ग्रा.नि.-न.ग्रा.नि.-2019 में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर द्वारा विविध याचिका क्र. 4090/2015 में पारित आदेश दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के परिपालन में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, इंदौर विकास योजना—2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित की गई है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है.

1. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर
2. कलेक्टर, इंदौर जिला इंदौर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, इंदौर
4. आयुक्त, नगरपालिक निगम, इंदौर.

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निहालपुर मुन्डी.	950/1, 953/1, 954 से 958, 945/2, 949/2, 945/1, 949/3, 945/3, 949/1, 948, 959/2, 962/1, 962/2, 959/3, 959/1, 951/1/2, 952/1, 953/3, 947/1, 960, 961, 998, 999, 1000	19.836	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	आवासीय
योग . .			19.836 हेक्टर		

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

राहुल जैन, संचालक.